28/6/18 पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। कुरेशान रिपोर्ट पेश हो गई है। पक्षकारान को सुन कर पाया। मुताबिक तहसील से प्राप्त कुरेशान रिपोर्ट के वाली अंतिम डिक्री जारी किया जाता है। डिक्री रजिस्टर पुस्तक में लिखा जाकर [illegible] किया गया। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद 3 माह दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

[illegible]

ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/22/14

बउनवान

1. मानसिंह पुत्र डालू जाति माली
2. रामचरण पुत्र डालू जाति माली

निवासीयान ग्राम साँखरी ग्राम मसारी तहसील कठूमर

3. धीसी वेवा डालू (मृतक) जरिये वारिसान
3/1 सूरज पुत्री डालू पत्नी कंवरपाल जाति माली
3/2. चन्दरी पुत्री डालू पत्नी रामजीलाल जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर

--- वादीगण

बनाम

1. मुंशी पुत्र रामस्वरूप जाति माली
2. रतन पुत्र रामस्वरूप जाति माली
3. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति माली
4. मक्खन पुत्र हरबक्स जाति माली
5. दीपा पुत्र हरबक्स जाति माली

निवासीयान ग्राम साँखरी तहसील कठूमर

6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
7. सब रजिस्ट्रार कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका

श्री श्यामसिंह चौहान एडवोकेट्स:– अधिवक्ता वादीगण

श्री रूपकिशोर शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ला04

निर्णय दिनांक 28.06.2018

अधिकारी
अलवर)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2928 रकवा 0.13 हे. 2929 रकवा 0.04 हे. 2930 रकवा 0.03 हे. 2931 रकवा 0.27 हे. वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ला04 का है। विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर वंटी हुई है। मौके पर अपने हिस्सा के अनुसार अलग अलग काश्त हो रही है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

उभय पक्ष अधिवक्ताव वादीगण की वहस पर मनन कर व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादीगण दिनांक 27.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी। तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना में अपनी कुरेजात रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश कर दी है। कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट के अंतिम रूप से डिकी किया जाता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2931 रकवा 0.10 हे. अजीराम पुत्र दीपचन्द माली को खसरा नम्बर 2931/1 रकवा 0.10 हे. मानसिंह, रामचरण पि0 डालू कौम माली हिस्सा 2/3 घीसी पत्नी डालू हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 2931/2 रकवा 0.07 हे., 2928/1 रकवा 0.03 हे. रतन, मुंशी, महेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप माली को खसरा नम्बर 2928 रकवा 0.10 हे. वाके ग्राम सौंखरी मक्खन पुत्र हरवक्स माली को तकसीम में दिये जाते है। खसरा नम्बर 2929 रकवा 0.04 हे. गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 2930 रकवा 0.03 हे. गै0मु0 चाह रतन मुंशी महेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप हिस्सा 1/4 हिस्सा मक्खन पुत्र हरवक्स 1/4 हिस्सा अजीराम पुत्र दीपचन्द उर्फ दीपा हिस्सा 1/4 मानसिंह रामचरण पुत्रान डालू घीसी पत्नी डालू हिंस्सा 1/4 के अनुसार शामलात में

धिकारी
लधर)

Scanned by CamScanner

रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अंकन व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। मिन नम्बरों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील मूल दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 28.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/22/14

बउनवान

1. मानसिंह पुत्र डालू जाति माली
2. रामचरण पुत्र डालू जाति माली

निवासीयान ग्राम सौंखरी ग्राम मसारी तहसील कठूमर

3. धीसी वेवा डालू (मृतक) जरिये वारिसान
3/1 सूरज पुत्री डालू पत्नी कंवरपाल जाति माली
3/2. चन्दरी पुत्री डालू पत्नी रामजीलाल जाति माली निवासी

भुसावर जिला भरतपुर

—— डिकीदारान

बनाम

1. मुंशी पुत्र रामस्वरूप जाति माली
2. रतन पुत्र रामस्वरूप जाति माली
3. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति माली
4. मक्खन पुत्र हरबक्स जाति माली
5. दीपा पुत्र हरबक्स जाति माली

निवासीयान ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर

6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
7. सब रजिस्ट्रार कठूमर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अतः दावा वादीगण अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2931 रकवा 0.10 हे. अजीराम पुत्र दीपचन्द माली को खसरा नम्बर 2931/1 रकवा 0.10 हे. मानसिंह, रामचरण पि0 डालू कौम माली हिस्सा 2/3 घीसी पत्नी डालू हिस्सा 1/3 खसरा नम्बर 2931/2 रकवा 0.07 हे., 2928/1 रकवा 0.03 हे. रतन, मुंशी, महेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप माली को खसरा नम्बर 2928 रकवा 0.10 हे. वाके ग्राम सौंखरी तकसीम मक्खन पुत्र हरबक्स माली को तकसीम में दिये जाते है। खसरा नम्बर 2929 रकवा 0.04 हे. गै0मु0 आबादी खसरा नम्बर 2930 रकवा 0.03 हे. गै0मु0 चाह रतन मुंशी महेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप हिस्सा 1/4 हिस्सा मक्खन पुत्र हरबक्स 1/4 हिस्सा अजीराम पुत्र दीपचन्द उर्फ दीपा हिस्सा 1/4 मानसिंह रामचरण पुत्रान डालू घीसी पत्नी डालू हिंस्सा 1/4 के अनुसार शामलात में रहेगा। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अंकन व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे। मिन नम्बरों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे।विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू–राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 28.06.2018 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/22/14

बउनवान

1. मानसिंह पुत्र डालू जाति माली
2. रामचरण पुत्र डालू जाति माली

निवासीयान ग्राम सौंखरी ग्राम मसारी तहसील कठूमर

3. धीसी वेवा डालू (मृतक) जरिये वारिसान

3/1 सूरज पुत्री डालू पत्नी कंवरपाल जाति माली.

3/2. चन्दरी पुत्री डालू पत्नी रामजीलाल जाति माली निवासी भुसावर जिला भरतपुर

--- वादीगण

बनाम

1. मुंशी पुत्र रामस्वरूप जाति माली
2. रतन पुत्र रामस्वरूप जाति माली
3. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति माली
4. मक्खन पुत्र हरबक्स जाति माली
5. दीपा पुत्र हरबक्स जाति माली

निवासीयान ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर

6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)
7. सव रजिस्ट्रार कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका

श्री श्यामसिंह चौहान एडवोकेटस':– अधिवक्ता वादीगण

श्री रूपकिशोर शर्मा एडवोकेट– अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ला04

निर्णय दिनांक 20.04.2018

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2928 रकवा 0.13 हे. 2929 रकवा 0.04 हे. 2930 रकवा 0.03 हे. 2931 रकवा 0.27 हे. वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ला04 का है। विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। अव वादीगण एंव प्रतिवादीगण के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे है इस वजह से विवादित आराजी पर शामलात काश्त को लेकर आपस में झगडा हो जाता है मनमुटाव इस कदर बढ गये हे कि विवादित आराजी पर किसी भी सूरत में शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वाावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण जबर्दस्त लोग हैं जो विवादित आराजी में वादीगण को शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये रहन वय करना चाहते है। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादीगण को ना पूर्तिहोने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने व वाद वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ला0 4 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर वंटी हुई है। मौके पर अपने हिस्सा के अनुसार अलग अलग काश्त हो रही है। वाद वंटवारा विवादित आराजी पर वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2,4,5 ने रिहाइसी मकान वना लिये है। जिनमें मय परिवार रिहाइस कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पास रहने को मकान नहीं है इस वजह से विवादित आराजी में अपने हिस्से पर पक्का मकान का निर्माण करना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी पूर्व से ही वंटी हुई है। वादीगण ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है। वादीगण को किसी प्रकार की क्षति व नुकशान नहीं होता है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 पी डब्ल्यू 1 वाके ग्राम सौंखरी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी मानसिंह पी डब्ल्यू 1, गवाह रोशनलाल पी डब्ल्यू 2,गवाह महेन्द्र पी डब्ल्यू 3, गवाह रामस्वरूप पी डब्ल्यू 4 गवाह श्यामसिंह पी डब्ल्यू 5 के वयान लेखवद्व कराये है।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाव दावा के समर्थन में गवाह मुंशी डी डब्ल्यू 1,गवाह महेन्द्र डी डब्ल्यू 2, उदयचन्द डी डब्ल्यू 3 के वयान लेखबद्व कराये है।

वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल 5 तनकियां कायम की गयी जिनका विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से है :–

तनकी संख्या 1 इस प्रकार से है कि आया आराजी खसरा नम्बर 2920, 2929, 2930, 2931 वाके गांव सौंखरी तहसील कठूमर में से वादी अच्छी में से अच्छी वो वुरी में से वुरी आराजी का 1/4 हिस्सा वादीगण प्रतिवादीगण से कानूनी रूप से तकसीम कराने का अधिकारी है। इस तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है।

वहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है सभी हिस्सेदार उक्त आराजी पर ामलात में काश्त कर रहे है वादीगण का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण विना कानूनी तकासमा कराये रहन वय करना चाहते है वादीगण के कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

काश्त में बाधा पैदा करते है। अतः विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर अलग अलग खाते कायम कर दिये जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी काफी समय पूर्व से बंटी हुई है वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 2,4,5 ने अपने हिस्से में आई आराजी में पक्के मकान बना रखे है। विवादित आराजी अबट ना होकर बंटी है अब पुनः बंटवारा नहीं किया जा सकता। वादीगण को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। दावा में संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श 1 में विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा वादी सं0 1,2 व मृतक घीसी की खातेदारी में दर्ज है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण का कथन कि विवादित आराजी काफी समय पूर्व से बंटी हुई है इस कथन की पुष्टि के लिये प्रतिवादीगण ने कोई राजस्व रेकार्ड या दस्तावेंज पेश नहीं किया है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने अपनी अपनी ओर से गवाह पेश किये है जिनके अध्ययन से यह सामने आया कि वादीगण के गवाह विवादित आराजी पर शामलात में काश्त होना कथन करते है जबकि प्रतिवादीगण के गवाह विवादित आराजी पर अलग अलग हिस्से पर काश्त करना व मौके पर बंटी होना कथन करते है ऐसी मौखिक साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता जो गवाह विश्वसनीय नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी प्रदर्श–1 दावा व जवाब दावा के तथ्यों व प्रस्तुत मोखिक साक्ष्य के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन करने पर विवादित आराजी पक्षकारान की ाामलात खातेदारी की अबट प्रतीत होती है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 इस प्रकार से है कि आया आराजी मुतनाजा वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 ला05 की शामलात मुश्तर्का की खातेदारी की आराजी है जिसमें वादीगण अपने 1/4 हिस्से को तकसीम कराने के

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी अवट व शामलात खातेदारी की पाई गयी है। अतः वादीगण विवादित आराजी में अपने 1/4 हिस्सा की आराजी को तकसीम कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया वादीगण अपने हिस्से की आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 ला05 को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पावन्द कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। जमावन्दी प्रदर्श 1 के मुताविक विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण का ामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। शामलात खातेदारी की आराजी में एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार के हिस्से में काश्त में बाधा पैदा करना गैरकानूनी है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पावन्द कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 इस प्रकार से है कि आया आराजी मुतनाजा का घरू वंटवारा वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने कर रखा है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस तनकी को साबित करने के लिये प्रतिवादीगण ने कोई राजस्व रेकार्ड पेश नहीं किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से जो गवाहान के वयान रेकार्ड कराये है जो विश्वसनीय नहीं है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

यह कि **तनकी संख्या 5** दादरसी की है। तनकी संख्या 1 ला0 4 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जा चुकी है। प्रतिवादीगण अपने जवाव दावा में वर्णित तथ्यों को अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाये है। अतः प्रतिवादीगण किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

नहीं है। अतः वाद वादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः दावा वादीगण आराजी खसरा नम्बर 2928 रकवा 0.13 हे. 2929 रकवा 0.04 हे. 2930 रकवा 0.03 हे. 2931 रकवा 0.27 हे. वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर वावत प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि मौके पर उक्त आराजी पर पहुँच कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में विधिनुसार अच्छी में से अच्छी व वुरी में से वुरी आराजी तकसीम (विभाजन प्रस्ताव तैयार) कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में पेश करें ताकि वाद को अंतिम रूप से डिक्री किया जा सके।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 20.04.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner